रजि सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 2011/श्रावण 21, 1933 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 122
No. 1] DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 2011/SRAVANA 21, 1933 [N.C.T.D. No. 122

भाग—III
PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 अगस्त, 2011

संख्या फा. 11(500)/डीईआरसी/2010-11/2208.—विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत इसमें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57, 86 एवं 181 के साथ पठित धारा 50 में उल्लिखित उपबन्धों के और दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 61 के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग इसके द्वारा 'दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता अनुपालन मानक विनियम, 2007, के विनियम 4(1)(ग) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

1. इन विनियमों को 'दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता और अनुपालन मानक (संशोधित) विनियम, 2011' कहा जा सकता है ।

2. ये अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे ।

3. खण्ड 4(1)(ग) में विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित संशोधित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"उक्त विनियमों के विनियम 2(1) (यठ) में यथापरिभाषित वृतिकों द्वारा अपने वृतिक कार्य करने के लिए, जो कि परामर्श प्रकृति के हैं, अपने निवास स्थान पर प्रयोग की गई विद्युत की गैर घरेलू दरें दिए बिना घरेलू संयोजन का प्रयोग कर सकेंगे । शर्त यह है कि वृतिक गतिविधि चलाने के लिए प्रयुक्त क्षेत्र दिल्ली महानगर योजना-2021 (एम.पी.डी. 2021) के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में ऐसी गतिविधि के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अनुमत क्षेत्र से अधिक न बैठता हो, जो दिल्ली महानगर योजना-2011 के अनुसार उस भूखण्ड/आवासीय इकाई के किसी भी एक तल पर अनुमत है लेकिन अनुमत या स्वीकृत एफ.ए.आर. के 50% से कम तक सीमित है, जो कम हो ।"

सुनीता यादव, सचिव